ताकि सबको उपलब्ध हो स्वास्थ्य सुविधा

डॉ. ए.के. अरुण

आधुनिकता, तकनीकी श्रेष्ठता तथा चिकित्सा ज्ञान में व्यापक विकास के दावे के बीच दस्त और पेचिश से सालाना लाखों बच्चों की मृत्यु की खबर दिल दहला देती है और इस विकास पर कई सवाल भी खड़े करती है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष भारत में लगभग एक लाख बच्चे रोटावायरस संक्रमण की वजह से होने वाले पेचिश एवं दस्त से मर जाते हैं। पांच वर्ष से कम उम्र के 242 बच्चों में से एक की मौत का कारण इसी रोटावायरस को बताया जाता है। चिकित्सा विज्ञान की बहुचर्चित पत्रिका *लैन्सेट* ने दावा किया था कि वर्ष 2008 में रोटावायरस के संक्रमण से भारत में 98,621 बच्चों की मौत हो गई थी। उसी आलेख में यह भी सुझाव दिया गया है कि रोटावायरस के संक्रमण से बचने के लिए 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में जन्म के बाद 6वें, 10वें तथा 14वें हफ्ते में रोटावायरस निरोधक टीका लगाना ज़रूरी है। उल्लेखनीय है कि आम तौर पर बाज़ार में उपलब्ध रोटावायरस से बचाव का एक टीका एक हज़ार से डेढ़ हज़ार तक की कीमत का होता है। बहुत महंगा होने की वजह से अब तक भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया है।

हाल ही में भारत सरकार के बायोटेक्नॉलॉजी विभाग के सचिव डॉ. के. विजय राघवन ने दावा किया है कि भारत में देशी तकनीक से तैयार इस रोटावायरस निरोधक टीके की कीमत 50 रुपए के आसपास होगी। उम्मीद की जा रही है कि इससे हर साल लाखों बच्चों को अकारण मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकेगा।

आंकड़ा देखें तो प्रति वर्ष कोई 20 लाख बच्चे रोटावायरस के संक्रमण के शिकार होते हैं। इस संक्रमण से बच्चों में जानलेवा दस्त, बुखार, उल्टी और शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो सकती है। सालाना लाखों बच्चे उल्टी-दस्त की वजह से मौत के ग्रास बनते हैं।

सन 1985 में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शोधार्थी डॉ. महाराज कृष्ण भान ने रोटावायरस से बचाव के देशी टीके की उम्मीद दिखाई। कोई 13 वर्ष बाद जब इन्डो-यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के तहत अपने देश के भारत बायोटेक लिमिटेड हैदराबाद को यह टीका विकसित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई तब से अब तक भारत, अमरीका तथा बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशन के 10 करोड़ डॉलर से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। कहते हैं कि चरण-3 ट्रायल में 6799 बच्चों को यह टीका लगाया गया। दावा किया जा रहा है कि इन बच्चों में से 56 प्रतिशत बच्चे अपने जन्म के पहले साल डायरिया संक्रमण से बचे रहे। भारत तथा अमरीका सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जन स्वास्थ्य वैज्ञानिक इससे खासा उत्साहित हैं क्योंकि यह टीका अब तक उपलब्ध रोटावायरस निरोधी टीके से 40 गुना सस्ता है। दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में यह टीका आम लोगों की पहुंच में होगा।

दरअसल रोटावायरस एक खतरनाक किस्म का डबल स्ट्रेन्डेड आर.एन.ए. वायरस है जो रियोवाइरेडी परिवार का सदस्य है। कहते हैं कि 5 वर्ष तक की उम्र के लगभग सारे बच्चे कम से कम एक बार इस जानलेवा वायरस के चपेट में ज़रूर आते हैं। इस वायरस की 5 किस्में 'ए', 'बी', 'सी', 'डी', तथा 'ई' पाई जाती हैं लेकिन 90 प्रतिशत से ज़्यादा मामलों में रोटावायरस 'ए' का संक्रमण ही देखा गया है। यह वायरस मल प्रदूषण के ज़रिए शरीर में प्रवेश करता है। यह शरीर में छोटी आंत और आमाशय को क्षतिग्रस्त कर देता है। पेट के संक्रमण के लिए यह वायरस ज़िम्मेदार होता है। इस संक्रमण को पेचिश या आमाशय फ्लू भी कहते हैं। यूं तो 1943 में जीव विज्ञानी जैकब लाइट तथा होरेस होडेज ने बच्चों के मल में इस विषाणु को खोजा था। एक दशक बाद इसे रोटावायरस जैसा बताया गया। 1974 में थॉमस हेनरी फ्लेवेट ने बताया कि यह

वायरस खतरनाक दस्त एवं पेचिश के लिए ज़िम्मेदार है।

1980 में रोटावायरस सिरोटाइप को बचाव के टीके का उम्मीदवार पाया गया और अमरीका की एक दवा कम्पनी ने इसे तैयार करना शुरू किया। तब इसकी कीमत 60 से 100 डॉलर होती थी जो बाद में घटकर 40 डॉलर हो गई। 2006 में रोटावायरस से बचाव के लिए कुछ और टीके आए लेकिन ये महंगे थे। वर्ष 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोटावायरस टीके को सभी देशों के राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया। अब रोटावायरस से बचाव के इस भारतीय किफायती संस्करण से उम्मीद जगी है कि भारत तथा अन्य विकासशील और गरीब देशों में बच्चों को खतरनाक दस्त से होने वाली मौतों से बचाया जा सकेगा।

अब थोड़ी चर्चा भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। आज भी हमारे देश में कई क्षेत्रों में पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। देश के 40 प्रतिशत गांव साफ पेयजल से वंचित हैं। सरकारी योजनाओं में खर्च राशि की तुलना में मात्र 5 से 10 प्रतिशत तक ही जन स्वास्थ्य की सुविधा आम लोगों तक पहुंच पाती है। सरकारी धन का लगभग 90 फीसदी तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के रोज़ उजागर होते घोटालों की खबरों से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि जनता के टैक्स से उगाही राशि को जन स्वास्थ्य के नाम पर कौन उड़ा रहा है।

यहां यह रेखांकित करना भी ज़रूरी है कि उदारीकरण के दौर में भारत में आम लोगों का स्वास्थ्य पर निजी खर्च 78 प्रतिशत के लगभग है। इसका अर्थ यह कि सरकार लोगों की चिकित्सा पर मात्र 22 प्रतिशत ही खर्च कर रही है। अन्य देशों से तुलना करें तो चीन में 61 प्रतिशत, श्रीलंका में 53 प्रतिशत, भूटान में 29 प्रतिशत एवं मालदीव में 14 प्रतिशत जबकि थाइलैंड में लोग 31 प्रतिशत इलाज का खर्च स्वयं वहन करते हैं। स्वास्थ्य पत्रिका *लैन्सेट* में ही प्रकाशित एक आलेख - फाइनेन्सिंग हेल्थ फॉर आलः चैलेंजेस एंड ऑपरचुनिटीज़ - के लेखक डॉ. ए.के. शिव कुमार लिखते हैं कि भारत में प्रति वर्ष 3.9 करोड़ लोग अपनी बीमारी के इलाज पर हुए खर्च की वजह से गरीबी के गर्त में ढकेल दिए जाते हैं। रोचक बात यह भी है कि डॉ. शिवकुमार प्रधानमंत्री द्वारा गठित उस उच्च स्तरीय समिति के सदस्य हैं जो सर्वजन के लिए स्वास्थ्य सुलभ कराने के लिए गठित की गई है।

दस्त, उल्टी और हैज़ा ऐसे रोग हैं जो ज़्यादातर गरीबों और कुपोषित बच्चों को ही चपेट में लेते हैं। भारत में कुपोषण का आंकड़ा भी भयावह है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े के अनुसार कुपोषण के मामले में भारत का नम्बर दूसरा है जबकि यहां प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा बच्चे दस्त की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। यहां की कोई 17.5 प्रतिशत आबादी बच्चों की है जिसमें से 60 फीसदी कुपोषण और दस्त की शिकार है। विश्व बैंक के विश्व भूख इन्डेक्स (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) में भारत का स्थान 15वां है। कुपोषण, भूख, बीमारी और मौत सब मिलकर यहां के आम बच्चों के जीवन से खेलते हैं। सरकार की प्राथमिकता में न होने की वजह से यहां जन स्वास्थ्य का मुद्दा कभी महत्त्वपूर्ण या प्रमुख मुद्दा नहीं बन पाया है।

बहरहाल दस्त, पेचिश या दूसरे जानलेवा रोगों से बचाव के लिए केवल दवा या टीके पर निर्भर रहना कतई वाजिब नहीं। जन स्वास्थ्य का मुद्दा लोगों की आर्थिक स्थिति, रोज़गार की परिस्थिति, खाद्य सुरक्षा, उनके जीवनयापन की व्यवस्था एवं सरकार की प्राथमिकता पर निर्भर करता है। आज जब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेश और ढांचागत समायोजन, आर्थिक विकास, तकनीक आदि को ही महत्त्व देती हो वहां स्वास्थ्य जैसे ज़रूरी विषय के प्रति सरकार का उदासीन रवैया एक आम घटना है। क्या हम यह उम्मीद करें कि विकास के केन्द्र में मानव को लाने के लिए सरकार उनके स्वास्थ्य और शिक्षा को महत्त्वपूर्ण मानेगी तथा इसे मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता मानकर अपनी ज़िम्मेदारी पर अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का मन बनाएगी। संविधान में स्वास्थ्य और शिक्षा यहां के नागरिकों का बुनियादी अधिकार है। ***(स्रोत फीचर्स)***